

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक: ५०७३ / 14-1 आगरा : दिनांक : 17, फरवरी, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक  
आगरा वृत्त, आगरा।

विषयक : आगरा में फतेहाबाद रोड पर अवन्तीबाई चौराहे से कचौराघाट मार्ग किमी 10 से 11 तक का 6 लेन चौड़ीकरण हेतु 1.40 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 126 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू.पी.  
/06/08/2019/एफ.सी./640 दिनांक 18.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण टी.टी.जैड. क्षेत्र के अन्तर्गत है और इसमें 126 वृक्षों का पातन निहित है जिसके अनुपालन हेतु मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः उक्त के अनुपालन में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.01.2021 की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया

*(दिवा)*

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक

५०७३

दिनांकित

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०-1 (ता०ट्रि०) लो०नि०वि० आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*(दिवा)*

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।